



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 कार्तिक 1939 (श10)  
(सं0 पटना 995) पटना, सोमवार, 23 अक्टूबर 2017

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2017

एस0 ओ0 251, दिनांक 23 अक्टूबर 2017— बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, संख्या 982 तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार की अधिसूचना एस0 ओ0 249, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करते हैं, यथा :-

## सारणी

क्रम सं.	साक्ष्य
(1)	(2)
1	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति ।
2	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है ।
3	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं० सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3844)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त –सह –प्रधान सचिव।

**18 अक्टूबर 2017**

एस० ओ० 252, एस० ओ० 251, दिनांक 23 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाष में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3844)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त –सह –प्रधान सचिव।

**The 18<sup>th</sup> October 2017**

S.O. 251, dated 23rd October 2017— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification S.O. 249, dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 982 dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, the Governor of Bihar, hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:-

**Table**

<b>Sl.No.</b>	<b>Evidence</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

2. This notification shall come into force with effect from the 18<sup>th</sup> October, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3844)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,  
Commissioner-cum-Principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 995-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>